

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- दावा संख्या 33/2017

निर्णय दिनांक :- 13.12.19

कान्ता कंवर पत्नी मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आबडसर तहसील रतनगढ
जि. चूरु

... वादी

बनाम

1. रेंवतसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आबडसर तहसील रतनगढ जि. चूरु
2. अनोपकंवर पत्नी स्व. पृथ्वीसिंह
3. पप्पूसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह
4. जीवराजसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह
5. सरोज कंवर पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह
6. हवाकंवर पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह
7. जीतूसिंह पुत्र मेघसिंह
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरु

जाति राजपूत निवासी ग्राम आबडसर
तहसील रतनगढ जिला चूरु

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री भोजराजसिंह अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 10.5.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 17 तदादी 40 बीघा 03 विश्वा, ख.नं. 21

उप खण्ड अधिकारी

तादादी 02 बीघा 08 विश्वा, ख.नं. 48 तादादी 04 बीघा, ख.नं. 116 तादादी 78 बीघा 03 विश्वा, ख.नं. 148 तादादी 91 बीघा 05 विश्वा, ख.नं. 274 तादादी 30 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 246 बीघा 01 विश्वा रोही ग्राम आबडसर तहसील रतनगढ में स्थित चली आ रही है। जिसमें वादीनी का 25/246 हक हिरसा संयुक्त दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार, रतनगढ से मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार की ओर से दिनांक 13.11.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नहीं की है। तथा रेकार्डड हिस्से का मौके के कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षेत्रफल है. में	किस्म
1.	कान्ताकंवर पत्नी मूलसिंह जाति राजपूत निवासी आबडसर खातेदार राहिन बड़ौदा राज.ग्रामीण बैंक, शाखा रतनगढ	148मी. दक्षिणी मध्य	6.3232	बा.सो.
		किता 1	6.3232	
2.	अनूपकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह हि. 139/2210 राहिन 2540/79871 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजलदेसर, जीतूसिंह पुत्र मेघसिंह हि. 139/442, जीवराजसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह हि. 139/2210 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजलदेसर, पप्पूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह हि. 139/2210 राहिन हि. 2540/79871 स्टेट बैंक ऑफ	148 मी. उत्तरी पूर्वी	16.7565	बा.सो.
		116	19.7663	बा.च.
		17	10.1551	बा.च.
		21	0.6070	बा.च.
		274	7.6131	बा.च.
48	1.0117	बा.च.		



उप खण्ड अपिका
रतनगढ

बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजलदेसर, रेवन्तसिंह पुत्र मेघसिंह हि. 82/221 राहिन बडौदा रा.ग्रा.बैंक, शाखा राजलदेसर, सरोजकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हि. 139/2210 राहिन 2540/79871 हि. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजलदेसर, हवाकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हिस्सा 139/2210 राहिन 2540/79871 हि. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजलदेसर जाति राजपूत निवासी आबड़सर खातेदार			
योग	किता 6	55.9097	

तहसीलदार रतनगढ डिकी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

अंतिम पर्चा डिकी नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.12.19 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

S. Saini
 (डॉ. गौरव सैनी)
 उप खण्ड अधिकारी
 रतनगढ (चूरु)
 रतनगढ (चूरु)

